संख्या-3/2019/35/**33-1-2019-61/2016**

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1 लखनऊ: **दिनाँक : 22 जनवरी, 2019**

विषय:- **आहरण-वितरण का अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी की नियमित नियुक्ति न होने के कारण पद रिक्त हैं। फलत: शासकीय कार्यहित में जिला पंचायत राज अधिकारी के कर्तव्यों एंव दायित्वों का निर्वहन सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि0) द्वारा किया जा रहा है। उक्त जनपदों के आहरण-वितरण का कार्य मण्डल स्तर के अधिकारियों को दिए जाने से कार्य के निस्तारण में समय लगने के साथ-साथ असुविधा भी होती है। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र XXIII में विविध वित्तीय अधिकार का उल्लेख है। उक्त के प्रस्तर-1 में अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी निम्नलिखित परिसीमाओं के अधीन घोषित करने की व्यवस्था दी गई है :-

1. सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यालय, जो कि एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में हो, का सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी हो और लेखा-प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भलीभॉति परिचित हो।
2. उक्त अधिकारी को कम से कम पाँच वर्ष का प्रशासकीय अनुभव हो।
3. ऐसे आदेश प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रसारित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन प्रभारी अधिकारी के रूप में सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि0) द्वारा किया जा रहा है, उक्त जनपदों के आहरण-वितरण के कार्य के निर्वहन हेतु जिलाधिकारी को अपने स्तर से वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र XXIII में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार किसी जनपद स्तरीय अधिकारी को अधिकृत किये जाने हेतु नामित किया जाता है।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सम्बन्धित जनपदों में उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)

सचिव।

<u>संख्या-3/2019/35/33-1-2019-61/2016 तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।